देहरादून,पौड़ी-गढ़वाल व अल्मोड़ा से प्रकाशित www.page3news.in नगर संस्करण वर्ष 16 अंक: 209 पृष्ठ : 8 मूल्य: एक रूपए

विचार-प्रवाह...
अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ा

देहरादून, मंगलवार, 23 नवंबर 2021

पेज थ्री

मौसम अधिकतम 22.0° न्यूनतम 12.0°

40243.39

2 रामबाण इलाज है मित्रों की टोली

7 भारत में प्रतिभा की कमी नहीं हैः रोहित

एमएसपी कानून बनाने से होगा किसानों का भला

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

लखनऊ। संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत में राकेश टिकैत मोदी व योगी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि सरकार को अपनी भाषा में समझाने में एक साल लग गए। अब प्रधानमंत्री को ये समझ आया कि कृषि कानून किसान, मजदूर व दुकानदार विरोधी हैं। टिकैत ने कहा कि सरकार ने किसानों को बांटने का प्रयास किया। इको गार्डेन पार्क में आयोजित महापंचायत में कहा कि माफी मांगने से किसानों का भला होने वाला नहीं है, उनका भला एमएसपी कानून बनाने से होगा। उन्होंने कहा कि इस कानून को लेकर केंद्र सरकार झूठ बोल रही है कि कमेटी बना रहे हैं, जबकि 2011 में जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उनकी अध्यक्षता में गठित कमेटी ने तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी कि किसानों के लिए एमएसपी लागू करें। ये रिपोर्ट पीएमओ में रखी है उसे ही लागू कर दें, नई कमेटी की कोई जरूरत नहीं है।

राकेश टिकैत ने सरकार के सामने कर दी आगे की रणनीति साफ

सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी ने बैठक की

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त कृषि समिति के सदस्य अनिल घनवट ने सोमवार को कहा कि वह कानूनी परिणामों का विश्लेषण करने के बाद पैनल की रिपोर्ट जारी करने के बारे में फैसला करेंगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि समिति के दो अन्य सदस्यों ने उन्हें इस बारे में निर्णय लेने की स्वतंत्रता दे दी है।

कार्यक्रम जारी रखने के संकेत, टेनी पर कार्रवाई की मांग

राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों, गरीबों और दुकानदारों का भला देश में पॉलिसी बनाने से होगा। इनको ध्यान में रखकर नीति बनानी होगी। टिकैत ने साफ किया कि हमारी मांगें सरकार के सामने हैं। हमारा आंदोलन 29 नवंबर तक तय कार्यक्रम के तहत चलता रहेगा। महापंचायत के मंच से लखीमपुर के तिकुनिया में हुई घटना के आरोपी आशीष मिश्र के पिता केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के खिलाफ जमकर नारे लगाए गए। किसान महापंचायत में केंद्रीय मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई।

उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का वादा चुनाव में किया था, उस पर अमल नहीं हुआ है। पहले तीन क्विंटल गेहूं बेचने पर तीन तोला सोना मिलता था, अब किसान तीन क्विंटल तीन तोला सोना मांग रहा है। दो करोड़ नौकरियों का वादा किया और काम प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है, देश प्राइवेट मंडी बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने संघर्ष विराम की घोषणा की है, जबकि सिर्फ तीन कानूनों की वापसी भर से मानने वाला नहीं है। आंदोलन चरणवार जारी रहेगा। गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र को बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कहा कि पता चला है कि अजय मिश्र शुगर मिल का उद्घाटन कर रहे हैं यदि ऐसा हुआ तो किसानों का गन्ना मिल पर नहीं डीएम के दफ्तर में पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि सरकार बातचीत से हल निकाल लें वरना चुनाव में सबक सिखाएंगे। भारतीय किसान सभा के नेता अतुल अंजान ने कहा कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं, लागत का लाभकारी मूल्य चाहिए। महापंचायत में पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों से बड़ी संख्या में किसान पहुंचे थे।

यूपी वाले बड़े इंजेक्शन असर

किसान नेता योगेंद्र यादव ने कहा मैंने हर सभा में कहा था कि ये तीन कानून पहले ही मर चुके हैं, लेकिन बस डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला है। डेथ सर्टिफिकेट लेकर ही लौटूंगा। आप की इस सभा का कुछ असर ऐसा हुआ कि सभा की घोषणा और सभा के बीच में ही प्रधानमंत्री ने कह दिया कि डेथ सर्टिफिकेट दे देंगे। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को अहंकार की बीमारी लग गई है। योगेंद्र यादव ने कहा कि लोकतंत्र में अगर प्रधानमंत्री बीमार हो जाये तो इलाज जनता को करना पड़ता है। जनता एक साल से दवाई दे रही थी। असर नहीं हो रहा था। फिर बंगाल के लोगो ने छोटा सा इंजेक्शन लगाया तो थोड़ा असर हुआ। यूपी वाले बड़े इंजेक्शन के असर से बीमारी काफी हद तक दूर हुई है।

संक्षिप्त समाचार

कोविड रोधी वैक्सीन के निर्यात के लिए मंजूरी

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट आफ इंडिया को COVAX कार्यक्रम के तहत कोविड-19 रोधी वैक्सीन के निर्यात को मंजूरी प्रदान की है। सूत्रों ने सोमवार को बताया कि सरकार ने SII को संयुक्त राष्ट्र वैश्विक निकाय COVAX को कोविड रोधी वैक्सीन कोविशील्ड की 50 लाख डोज निर्यात करने की अनुमति दी है। टीकों की पहली खेप नेपाल, ताजिकिस्तान और मोजाम्बिक को निर्यात की जाएगी।

बाम्बे हाईकोर्ट ने दिया नवाब मलिक को बड़ा झटका

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) मुंबई। पिछले कुछ समय से महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और एनसीबी की मुंबई क्षेत्रीय इकाई के निदेशक समीर वानखेड़े के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब बाम्बे हाईकोर्ट का कहना है कि एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक के ट्वीट द्वेष से प्रेरित थे।

मणिपुर, मेघालय, नागालैंड में कम हुआ टीकाकरण

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने की रफ्तार बढ़ाने की अपील

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सोमवार को मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और पुडुचेरी से कोविड-19 टीकाकरण अभियान में तेजी लाने का आग्रह किया है। इन राज्यों में टीकाकरण कम हुआ है, जिसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने चिंता जताई है। मांडविया ने कहा कि कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में टीकाकरण सबसे शक्तिशाली हथियार है। ऐसे में राज्यों को टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाने की जरूरत है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है, हम टीकाकरण के अंतिम चरण में हैं। आइए हम टीकाकरण की गति बढ़ाकर और कवरेज का विस्तार कर पूर्ण कोविड-19 टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए आक्रामक अभियान शुरू करें। मांडविया ने मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और पुडुचेरी के स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड टीकाकरण की स्थिति और हर घर दस्तक अभियान के तहत प्रगति की समीक्षा की।

स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान के मुताबिक, इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में कम टीकाकरण कवरेज देखा गया है। देश में 82 फीसद लोगों को पहली खुराक दी जा चुकी है और 43 फीसद को दोनों डोज दी जा चुकी हैं। वहीं, पुडुचेरी, नागालैंड (49 प्रतिशत, 36 प्रतिशत), मेघालय (57 प्रतिशत, 38 प्रतिशत) और मणिपुर (54 प्रतिशत, 36 प्रतिशत) पहली और दूसरी खुराक कवरेज के साथ राष्ट्रीय औसत से पीछे हैं। उन्होंने कहा, आइए हम सामूहिक रूप से सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र नागरिक देश में कोविड-19 वैक्सीन के सुरक्षा कवच के बिना न रह जाए।

एक सरकारी अधिकारी को तैनात करें

सभी राज्य हर हफ्ते रोजाना के लिए एक सरकारी अधिकारी को तैनात करें जो योग्य लोगों को टीकाकरण के लिए जागरुक करेगा। उन्होंने हर-घर दस्तक के विस्तार के लिए पीएम मोदी की रणनीतियों को फिर से दोहराया, जिसके तहत प्रचार टोली और टीकाकरण टोली की तैनाती करना शामिल है। जो यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी पात्र नागरिकों को पहली और दूसरी खुराक का टीका लग गया है।

ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को मिला वीर चक्र

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। 27 फरवरी, 2019 को पाकिस्तान की वायु सेना के एफ-16 लड़ाकू विमान को हवाई युद्ध में मार गिराने वाले भारतीय वायु सेना के विंग कमांडर (अब ग्रुप कैप्टन) अभिनंदन वर्धमान को राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने वीर चक्र से सम्मानित किया। तत्कालीन विंग कमांडर, अभिनंदन वर्धमान ने बालाकोट हवाई हमले के एक दिन बाद 27 फरवरी को भारत और पाकिस्तानी वायु सेना के बीच हवाई युद्ध में मिग -21 विमान से पाकिस्तानी लड़ाकू विमान एफ-16 को मार गिराया था। उन्हें 3 नवंबर, 2021 को ग्रुप कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया गया था।

अभिनंदन श्रीनगर स्थित 51 स्क्वाड्रन का हिस्सा थे और 27 फरवरी, 2019 को पाकिस्तानियों द्वारा शुरू किए गए हवाई हमले को विफल करने के लिए उड़ान भरी थी। पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला किया था, जिसमें भारत के 40 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद भारत ने 26 फरवरी को बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी जिसमें 300 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए थे।

पुरस्कार

■लांस नायक संदीप सिंह को प्रदान किया शौर्य चक्र पुरस्कार

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू-कश्मीर में 2018 के एक आपरेशन में एक आतंकवादी को मारने और दो अन्य को घायल करने के लिए 4 पैरा (विशेष बल) के लांस नायक संदीप सिंह को शौर्य चक्र (मरणोपरांत) से सम्मानित किया है। उनकी पत्नी गुरप्रीत कौर ने यह पुरस्कार ग्रहण किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जो सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं। विशिष्ट वीरता, अदम्य साहस और कर्तव्य के प्रति अत्यधिक समर्पण के लिए कर्मियों को वीरता पुरस्कार दिए गए।

Are you Planning to make a Website or already have ?
If yes, then we are here to serve you

What we do

Website Development
All type of Websites E-Commerce, Hotel Booking, Travel, Bus Ticket Booking, News Portal, Blogs, or as per client requirement.

Promotion & Branding
1. Website Promotion & Branding in any country (200+ Countries)
2. Social Media
3. Bulk SMS

Search Engine Optimisation
A-2-Z Work to make a Website Search Engine Friendly.
You tell us, we do it.

Contact:
Gadoli Media Ventures
Shivam Market, 2nd Floor, Darshan Lal Chowk, Dehra Dun. I Mob: 9319700701, 7579011930
E-Mail: contact@gadoli.in

सुप्रीम कोर्ट बोला, जांच में करें सहयोग

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने परमबीर सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उन्हें जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। वहीं, सिंह के वकील ने कोर्ट को बताया कि वे देश में ही हैं और वह 48 घंटे में सीबीआई के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं।

परमबीर सिंह की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

पिछली सुनवाई में शीर्ष कोर्ट ने कहा था कि पहले परमबीर सिंह ये बताएं कि वे कहां हैं, उसके बाद ही उनकी याचिका पर सुनवाई होगी।

मुंबई की एक अदालत ने परमबीर सिंह को भगोड़ा घोषित किया है क्योंकि बार-बार समन दिए जाने के बावजूद वे जांच समिति के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। सौ करोड़ रुपये की वसूली के मामले में मुंबई पुलिस उनसे पूछताछ करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि सुरक्षा के लिए सिंह की याचिका पर तभी सुनवाई होगी जब वह यह बताएंगे कि वह देश में हैं या देश से बाहर हैं।